डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 मई 2002—वैशाख 13, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

क्रमांक 1113/833/2002/1/2.—श्री दुर्गेश मिश्रा, भा. प्र. से. (1991) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

क्रमांक 1115/814/2002/1/2.—अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा, भा. प्र. से. (1994) को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

क्रमांक 1122/863/2002/1/2.—छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग को आवंटित भा. प्र. से. के 2001 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारी

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

सुश्री शहला निगार को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में प्रशिक्षण के लिये जिला बिलासपुर में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. सुश्री निगार लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2002

क्रमांक 540/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एस. रघुवंशी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 28-3-2002 से 3-4-2002 तक 7 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश अवधि में श्री रघुवंशी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुवंशी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-5-1/2001/1/6.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 240/264/2001/1/6 दिनांक 15-10-2001 के अनुक्रम में ग्राम अचानकमार थाना कोटा जिला बिलासपुर में घटित घटना की न्यायायिक जांच हेतु गठित आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-3-2002 से तीन माह की अवधि अंतिम बार वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2002

क्रमांक 1055/746/02/2/एक/स्था.—श्री मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को दिनांक 24-4-2002 से 8-5-2002 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार पिंगुआ को आगामी आदेश तक कलेक्टर के पद पर जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ में पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री पिंगुआ को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज कुमार पिंगुआ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मनोज कुमार पिंगुआ के अवकाश की अवधि में उसका कार्य श्री ई. लकरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा अपने कर्त्तव्यों के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2002

क्रमांक 1102/827/साप्रवि/2002/1/2.—श्री अजय सिंह, सचिव, ऊर्जा, जल संसाधन विभाग को दिनांक 27 मई, 2002 से 14 जून, 2002 तक (19 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा दिनांक 25 एवं 26-5-2002, 15 एवं 16-6-2002 तक सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री अजय सिंह, सचिव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सिंह, यदि अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, ऊर्जा, जल संसाधन के पद पर कार्य करते रहते.

4. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह को सचिव के पद पर ऊर्जा, जल संसाधन विभाग में पुनः पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2002

विषय : प्रदेश में 6 मेगावॉट तक की जल विद्युत परियोजनाओं हेतु नोडल एजेंसी.

क्रमांक 42/अ. पां./ऊ. वि./2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा 6 मेगावॉट क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) को नोडल एजेंसी घोषित करता है. ऐसी परियोजनाओं के चिन्हांकन से लेकर परियोजनाओं को स्वयं के स्रोतों से, संयुक्त निवेश अथवा निजी निवेश के माध्यम से विकसित करने का संपूर्ण दायित्व क्रेडा का होगा. इन परियोजनाओं को भारत सरकार व उनकी संस्थाओं, वित्तीय संस्थाओं इत्यादि के माध्यम से ऋण व सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रकरण नोडल एजेंसी के माध्यम से केन्द्र सरकार व उनकी संस्थाओं को भेजे जाएंगे, इन प्रकरणों के प्रोसेसिंग हेतु क्रेडा द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क संबंधित डेवलेपर (Devcoper) द्वारा देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्रमांक एफ-6/106/2001/वा.कर/पांच.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29-11-2001 द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया था. उक्त आदेश द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी को कार्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में संशोधन करते हुए श्री परेश बागबाहरा, विधायक को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2002

क्र. एफ 6-12/2002/वा. कर (आब)/पांच.—राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित आबकारी उपनिरीक्षकों को सहायक जिला आबकारी अधिकारी के पद पर वेतनमान रु. 5500-9000 में तदर्थ रूप से पदोन्नत किया जाकर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सामने कालम (4) में दर्शाये अनुसार पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्था-पना.	तदर्थ पदोन्नति के उपरांत पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री दुर्गा सिंह ठाकुर, आबकारी उपनिरीक्षक.	दुर्ग	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, केडिया केसल डिलान इंडस्ट्रीज, कुम्हारी जिला दुर्ग (रिक्त पद के विरुद्ध).
2.	श्री हीरालाल बंसोड़, आबकारी उपनिरीक्षक.	धमतरी	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, धमतरी (रिक्त पद के विरुद्ध).
3.	श्री जे. के. क्लाडियस, आबकारी उपनिरीक्षक.	संभागीय उड़नदस्ता रायपुर.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी संभागीय उड़नदस्ता, रायपुर (रिक्त पद के विरुद्ध).
4.	श्री डी. के. राठौर, आबकारी उपनिरीक्षक.	जशपुर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी जशपुर (रिक्त पद के विरुद्ध).
5.	श्री थानेश्वर भूसाखरे, आबकारी उपनिरीक्षक.	धमतरी	सहायक जिला आबकारी अधिकारी धमतरी (रिक्त पद के विरुद्ध).
6.	श्री लक्ष्मण प्रसाद सारथी, आबकारी उपनिरीक्षक.	बिलासपुर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, बिलासपुर (रिक्त पद के विरुद्ध).
7.	श्री जगदीश प्रसाद आबकारी उपनिरीक्षक.	बस्तर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर (रिक्त पद के विरुद्ध).

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री आर. आर. श्रीवास्तव, आबकारी उपनिरीक्षक.	रायपुर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी कांकेर (रिक्त पद के विरुद्ध).
9.	श्री जी. पी. कश्यप, आबकारी उपनिरीक्षक.	दुर्ग	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ (रिक्त पद के विरुद्ध).
10.	श्री डी. के. श्रीवास्तव, आबकारी उपनिरीक्षक.	बिलासपुर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कोरबा (रिक्त पद के विरुद्ध).
11.	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक.	राजनांद-गांव.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर (रिक्त पद के विरुद्ध).
12.	श्री एम. सी. दुबे, आबकारी उपनिरीक्षक.	दुर्ग	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, रायगढ़ (रिक्त पद के विरुद्ध).
13.	श्री उपेन्द्रधर बड़गैया, आबकारी उपनिरीक्षक.	रायपुर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद (रिक्त पद के विरुद्ध).
14.	श्री मतीन अहमद कुरैशी, आबकारी उपनिरीक्षक.	दुर्ग	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कवर्धा, (श्री एम.एस. कुरैशी के 28-2-2002 को सेवानिवृत्ति उपरांत रिक्त पद पर).
15.	श्री अश्वनी कुमार अनंत, आबकारी उपनिरीक्षक.	महासमुंद	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, बिलासपुर (रिक्त पद के विरुद्ध).
16.	कु. गीता परस्ते, आबकारी उपनिरीक्षक.	रायपुर	सहायक जिला आबकारी अधिकारी, महासमुंद (रिक्त पद के विरुद्ध).

2. उक्त तदर्थ पदोन्नतियां नियमानुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है एवं तदर्थ पदोन्नति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं.

3. तदर्थ पदोन्नति की अवधि में वित्त विभाग के निर्देशों के तहत नियमानुसार वेतनवृद्धियों की पात्रता होगी, किन्तु जब तक नियुक्ति नियमित नहीं हो जाती, तब तक संबंधित अधिकारी को तदर्थ रूप से पदोन्नति के पद पर किसी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ प्राप्त नहीं होगा.

4. उक्त तदर्थ पदोन्नतियां मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय दिनांक 17-7-2001 के विरुद्ध उच्च न्यायालय में लंबित अपील पर निर्णय के अध्याधीन होगी.

5. तदर्थ पदोन्नतियों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है.

6. संबंधित अधिकारी आदेश प्राप्ति के पश्चात् अविलंब कार्यभार सौंपकर बिना किसी प्रकार के अवकाश का लाभ लिये, अपना पदभार तत्काल ग्रहण करें एवं उसकी सूचना विभाग को भी दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक 1575/डी-521/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्तागण को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, ट्रिब्यूनल, जबलपुर/राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर राज्य शासन एवं महाधिवक्ता के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए 1 मार्च, 2002 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उसके पूर्व कभी भी सेवाएं समाप्त किए जाने की शर्तों पर स्टेंडिंग कौंसिल नियुक्त करता है :—

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

क्रमांक	नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री एस. के. राव, एडवोकेट.	स्टेन्डिंग कौंसिल	रु. 12,000/-

सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जबलपुर

क्रमांक	नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनोज शर्मा, एडवोकेट.	स्टेन्डिंग कौंसिल	रु. 12,000/-

राज्य प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर

क्रमांक	नाम	पद	पारिश्रमिक प्रतिमाह
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री मनिन्दर भाटी, एडवोकेट.	स्टेन्डिंग कौंसिल	रु. 12,000/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2002

क्रमांक 1563/डी-523/21-ब(छग)/2002.—राज्य शासन, निम्नलिखित अधिवक्तागण को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए पद पर राज्य शासन एवं महाधिवक्ता के निर्देशानुसार शासन की ओर से पैरवी करने के लिए उन्हें दिनांक 1-3-2002 से 28-2-2003 तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :—

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1.	श्री निर्मल शुक्ल	अतिरिक्त महाधिवक्ता.
2.	श्री रणवीर सिंह मरहास	शासकीय अधिवक्ता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. यदु, अतिरिक्त सचिव.

आवास, पर्यावरण, नगरीय प्रशासन व विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2002

क्रमांक 20/संस/आ. पर्या./2002.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 है.
   (दो) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियों को छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपांतरणों के अध्यधीन रहते हुये समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किये जाये.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधि के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक	विधि का नाम
(1)	(2)
1.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1973 (क्रमांक 3 सन् 1972).

Raipur, the 28th February 2002

No. 20/JS/H & E/2002.—In exercise of the

Powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government, hereby, makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the Adaptation of Laws order, 2001.

   (ii) It shall come into force in the whole state of Chhattisgarh on the 1st day of November 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the schedule to this order, which were in force in the State of Madhya Pradesh imediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in all the law's for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the words "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the law specified in the schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Law (2)
1.	Madhya Pradesh Griha Nirman Mandal Adhiniyam. 1973 (No. 3 of 1972).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अप्रैल 2002

क्रमांक 914/आपर्या/684/2002.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा-2 के चरण (क) के अंतर्गत राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये रायपुर निवेश क्षेत्र जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-क/जियोस/एल. यू. 4/3104/नग्रानि/2000 रायपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2001 द्वारा गठित किया गया था, से नीचे दी गयी अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित क्षेत्र को अपवर्जित करती है और अब रायपुर निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची क्रमांक-2 में परिनिश्चित की गयी है.

अनुसूची क्रमांक-1

रायपुर निवेश क्षेत्र से अपवर्जित किया गया क्षेत्र :—

छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधरा (1) तथा (2) के अंतर्गत गठित राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम कचना, पिरदा, तुलसी, कुरूद, नकटा, हसौद, सेरीखेडी, छतौना, नवागांव, सेंध, रीको, नकटी, धरमपुरा, टेमरी, बनरसी, रमचण्डी, बरौदा, चीचा, तुता, माना, बोरियाकला, धनेली, भटगांव, निमोरा, परसट्टी, बेन्द्री.

अनुसूची क्रमांक-2

रायपुर निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं :—

(1) उत्तर में :—

ग्राम-बहेसर (धरसीवा), मुनरेठी (ध), परसतराई (ध), धरसीवा (ध), तिवरैया (ध), गोदी (ध), नगरगांव (ध), टोर (ध) ग्रामों की उत्तरी सीमा.

(2) पश्चिम में :—

ग्राम-बहेसर (ध), चिखली (ध), कुम्हारी (ध), पठारीडीह (ध), बेन्द्री (ध), कारा (ध), बाना (ध), गुमा (ध), गोमची (ध), हतबंध (ध), अटारी (ध), चंदनीडीह (ध), सरोना (ध), रायपुरा (ध), भाठागांव (ध), काठाठी (ध), दतरेंगा (ध) एवं डोमा (ध) ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

(3) दक्षिण में :—

ग्राम-डोमा (ध), खिलोरा (अ), सिवनी (अ), धुसेरा (अ), सेजबहार (ध), कान्दुल (ध), डूण्डा (ध), देवपुरी (ध), डुमरतराई (ध), फुण्डहर (ध), जोरा (ध), लभाण्डीह (ध), शंकर नगर (खमारडीह) (ध), सड्डू (ध), आमासिवनी (ध), सकरी (ध), धनसुली (आरंग) एवं बहनाकाड़ी (आरंग) ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.

(4) पूर्व में :—

ग्राम बहनाकाड़ी (आ), नरदहा (आरंग), दोदेकला (ध), मटिया (ध), बरबंदा (ध) एवं टोर (ध) ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 770/श्रम/2002 रायपुर, दिनांक 21-3-2002

श्रम नीति 2001

प्रस्तावना :

नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 01 नवम्बर, 2000 को हुआ. यह राज्य, प्राकृतिक वन संपदा, खनिज संसाधन से परिपूर्ण है. औद्योगिक क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई जैसे भारत सरकार के उपक्रम एवं अन्य जैसे राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कोरबा, विद्युत मंडल पूर्व एवं पश्चिम कोरबा, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा, बाल्को केप्टीव पॉवर प्लांट कोरबा जैसे वृहद् उद्योग स्थापित हैं. वहीं निजी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की 07 इकाइयां एवं अन्य कई छोटे-बड़े औद्योगिक ईकाइयां स्थापित हैं, जिसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रतिदिन रोजगार प्राप्त हो रहा है.

श्रमिकों के हित संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, का समन्वय किया जाकर बेहतर से बेहतर सेवा शर्तें, सुविधाएं उपलब्ध किये जाने के साथ-साथ श्रम शक्ति/शारीरिक श्रम शक्ति को पोषक एवं वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जायेंगे.

1. औद्योगिक संबंध :—

औद्योगिक शांति स्थापित किये जाने के लिये नियोक्ता एवं नियुक्तों में परस्पर सद्भावना तथा मधुर संबंधों को प्रोत्साहित किया जायेगा.

श्रम, पूंजी एवं प्रबंध के समन्वय एवं सहयोग को पूर्ण रूप से महत्व दिया जावेगा. प्रबंधकों एवं श्रमिकों को निकट आने एक-दूसरे से चर्चा, वार्तालाप करने एवं एक दूसरे की स्थिति का ज्ञान करने हेतु कदम उठाए जाऐंगे ताकि आपसी मतभेद समाप्त हो और परस्पर विरोधी वातावरण समाप्त हो.

यह प्रयत्न किया जावेगा कि उद्योगपति स्वयं ही अपने श्रमिकों को निर्धारित वेतन एवं अन्य सुविधाएं दें और उनके हित का संरक्षण करें. श्रमिकों को उनका हक देने का पहल करें ताकि विवाद की स्थिति उत्पन्न ही न हों और यदि विवाद उत्पन्न हो तो उसका निराकरण परस्पर समझौता से हो जाय. परस्पर समझौता असफल होने पर संसाधन एवं ऐच्छिक पंचाट को सौंपे जायेंगे एवं इनके असफल होने पर ही विवाद श्रम न्यायपालिका को सौंपे जायेंगे.

श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार करते हुए अनुचित एवं अवैधानिक हड़ताल को न केवल निरूत्साहित किया जावेगा बल्कि उन्हें दृढ़ता से रोका जाएगा. नियोजकों को इस बात के लिये प्रेरित किया जावेगा कि वे श्रमिकों की उचित मांगों को मानकर कामबंदी आंदोलन की स्थिति को टालें.

नियोजकों द्वारा की जाने वाली अनुचित एवं अवैधानिक तालाबंदी, अस्थायी कार्यबंदी, अवैधानिक छटनी को रोकने के कारगर कदम उठावे जावेंगे. इस बात की व्यवस्था की जायेगी कि कोई औद्योगिक विवाद विस्फोट की स्थिति में पहुंचने के पूर्व ही उसका निराकरण हो जाए. इसके लिए औद्योगिक संबंधों को और अधिक गतिशील बनाया जायेगा.

उद्योगों में श्रमिकों की सहभागिता हेतु "गुणवत्ता पर नियंत्रण" एवं "औद्योगिक संबंध समिति" गठित की जावेगी. समिति की बैठक प्रत्येक माह में ली जावेगी एवं समिति में पारित निर्णयों का सशक्ता से पालन किया जावेगा.

2. व्यवसायिक संघ :—

श्रमिकों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विवेक एवं इच्छानुसार स्वास्थ्य संगठनों के निर्माण करने, एवं उन्हें विकसित करने तथा श्रमिकों को उचित तथा वैधानिक सभी हक दिलवाने में शासन यथा संभव सुविधाएं उपलब्ध करायेगा.

व्यवसायिक संघों की बाहुल्यता को नियंत्रित किया जावेगा और व्यवसायिक संघों को पंजीयन के लिए न्यूनतम संख्या निर्धारित किये जाने की ओर पहल किया जावेगा.

व्यवसायिक संघों के सदस्य श्रमिकों को नेतृत्व प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा और उनके लिये बाहरी पदाधिकारियों की संख्या को प्रतिबंधित किया जावेगा.

एक उद्योग एक श्रमिक संघ के सिद्धांत को यथा संभव लागू किया जावेगा और व्यवसायिक संघों को मान्यता देने के पूर्व नियमानुसार जांच की प्रक्रिया अपनाई जावेगी. औद्योगिक इकाइयों में संघीय प्रतिस्पर्धा कम किये जाने के उद्देश्य से संघ को मान्यता प्रदान करते समय इकाई के नियोक्ता का भी अभिमत लिया जावेगा, इससे बढ़ती हुई श्रमिक संघों की स्पर्धा कम होने की संभावना रहेगी. साथ ही साथ इकाई के लिए वास्तविक श्रमिक संघ अस्तित्व में आयेगा.

3. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण :—

वर्तमान में बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र जैसे कृषि, चावल मिल, धान मंडी निर्माणी आदि में कार्य कर रहे हैं, जिनकी संख्या संगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों की अपेक्षा अधिक है. जिन्हें किसी भी प्रकार का न्यायिक संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है. साथ ही उन्हें समाज में उचित दर्जा एवं सम्मान भी प्राप्त नहीं होता है. अत: सरकार ऐसे असंगठित श्रमिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिये राज्य में पृथक से कानून एवं नियम बनाये जायेंगे.

न्यूनतम वेतन अधिनियम की अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन कर उसमें और अधिक नियोजनों को जोड़ा जावेगा तथा उक्त अधिनियम को अधिक से अधिक संस्थानों पर क्रियान्वित किया जावेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त हो सके. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किये जाने के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों पर भी विचार किया जावेगा.

महिला श्रमिकों के लिये (कुली एवं रेजा) कार्य के घंटे, सेवा शर्तें एवं कार्य दर्शायें के बारे में कानून बनाये जाने का प्रयास किया जावेगा.

बाल श्रमिकों के कल्याण में शासन विशेष रुचि लेगा और खतरनाक नियोजनों में बाल श्रमिकों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करायेगा तथा बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास किये जायेंगे.

4. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों का संरक्षण :—

पूर्वानुमानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषक, श्रमिक कृषि कार्यों की समाप्ति के पश्चात् खाली समय के दौरान रोजी, रोटी की प्राप्ति हेतु स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे राज्य को चले जाते हैं. ऐसी अनेक घटनायें सरकार के सामने आई है जिसके अनुसार दूसरे राज्यों में उन्हें अत्याधिक प्रताड़ित एवं शोषित किया जाता है. यद्यपि उनके कार्य की शर्तों को निर्धारित करने तथा उनके हित संरक्षण हेतु भारत सरकार ने "Inter State Migrant Worker's (Working and condition) Act, 1979" बनाया है किन्तु राज्य सरकार की राय में उक्त विधान के प्रावधानों से श्रमिकों को पूरा संरक्षण प्राप्त नहीं हो रहा है. अतः प्रदेश से बाहर जाने वाले श्रमिकों को शोषण से बचाये जाने के उद्देश्य से अधिनियम को और अधिक प्रभावशील बनाये जाने के लिये भारत शासन से निवेदन किया जावेगा.

5. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा :—

सरकार कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर सर्वाधिक ध्यान देगी. इसके लिये यह आवश्यक है कि जो कारखाना अधिनियम एवं नियम बनाये गये हैं उन्हें लागू किया जावेगा तथा इनका उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर प्रावधान बनाये जायेंगे. सरकार प्राथमिक तौर पर "राष्ट्रीय सुरक्षा अध्याय" को छत्तीसगढ़ में लागू करेगी. जिससे लगातार सुरक्षा प्रशिक्षण में सुविधा होगी तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सकेगी.

इस बात पर विशेष बल दिया जायेगा कि कारखानों में उचित रूप से सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है या नहीं इसके लिये शासन द्वारा कारखानों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण की ओर बल दिया जावेगा कि प्रबंधक एवं श्रमिकों दोनों के द्वारा उचित रूप से स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं.

6. राज्य कर्मचारी बीमा योजना :—

राज्य कर्मचारी बीमा योजना का सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जावेगा जिससे प्रदेश के उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों एवं उनके परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके. योजना के तहत आवश्यकतानुसार औषधालय एवं अंतर्रोगी चिकित्सालय खोले जायेंगे एवं वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा.

7. श्रम न्यायपालिका :—

श्रमिकों को शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय दिलाने के उद्देश्य से अधिक संख्या में श्रम न्यायालय स्थापित किये जाएंगे तथा विवादों को सुनने एवं निराकरण की सुविधा प्रदान की जावेगी. मौजूदा श्रम कानूनों के तहत बनाये गये दंड के प्रावधानों को संशोधित किया जावेगा तथा श्रम कानूनों के प्रवर्तन में कड़ाई लाई जाएगी. यह देखा गया है कि बहुत से श्रमिक दावे किन्हीं कारणों से श्रम न्यायालयों में बिना कार्यवाही के पड़े हुए हैं. अतः सरकार उक्त दावों को जल्द से जल्द निर्णय करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी.

श्रम न्यायपालिका को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु छत्तीसगढ़ में औद्योगिक न्यायालय के मुख्यपीठ का यथाशीघ्र गठन किया जावेगा.

8. श्रम अधिनियमों में संशोधन :—

विभिन्न श्रम अधिनियमों में श्रमिकों की परिभाषा में एक-रूपता लाई जावेगी और इस परिभाषा के लिये वेतन सीमा में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जावेगा.

मौजूदा श्रम कानून बहुत पुराना होकर अव्यवहारिक है. अतः बदले हुए परिपेक्ष्य में मौजूदा कानून में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर उसे और अधिक सारयुक्त बनाया जावेगा.

श्रम कानून के प्रवर्तन में आवश्यक सुझाव देने हेतु त्रिपक्षीय संस्थाओं का गठन किया जावेगा एवं उनकी नियमित बैठकें ली जाकर श्रम कानूनों के प्रवर्तन में जनभागीदारी को महत्व दिया जावेगा.

8. **श्रम कानूनों में प्रवर्तन :—**

श्रम कानूनों का प्रवर्तन प्रभावी ढंग से करने एवं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु मौजूदा श्रम विभाग का अमला एवं अधिकार सीमित है. श्रम कानूनों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु विभाग को सुदृढ़ीकरण किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2001

क्रमांक 3051/2939/ज. सं. वि./2001.—श्री एन. आर. पटेल, जब सहायक यंत्री के पद पर बिलासपुर में पदस्थ थे, तब उनके द्वारा रुपये 3,42,140.50 पैसे की अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के संबंध में विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा अपराध क्रमांक 20/93 दर्ज कर विवेचना की गई, विवेचना उपरांत प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों के आधार पर यह बात प्रमाणित हुई कि चेक अवधि दिनांक 1-1-80 से 28-2-93 की अवधि में वैध स्रोतों से रुपये 9,17,982.49 पैसे की आय हुई और इस अवधि में श्री पटेल द्वारा रुपये 12,60,123.00 व्यय/निवेश किये गये, इस प्रकार आरोपी के पास उनके परिवारजन के नाम पर रुपये 3,42,140.50 पैसे की अनुपातहीन संपत्ति पायी गई, इस संबंध में श्री पटेल द्वारा कोई समाधान कारक तथ्य/उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये.

2. प्रकरण में म. प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 8/201/96/1488/21-क (अभि.) दिनांक 5-8-1996 से श्री पटेल के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश पारित किये गये उक्त आदेश की प्रत्याशा में लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल द्वारा दिनांक 16-8-1996 को माननीय प्रथम अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के न्यायालय बिलासपुर में चालान प्रस्तुत किया गया. चूंकि श्री पटेल म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 15-96/96/पी-2/31, दिनांक 25-7-96 द्वारा एक अन्य विभागीय जांच प्रकरण में म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (क) के अंतर्गत निलंबित किया गया था. चालानी कार्यवाही के कारण प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3328351 (336), दिनांक 8-10-1996 द्वारा म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 (1) (2) के अंतर्गत भी निलंबित माना गया है.

3. माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश बिलासपुर (छ. ग.) द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 17/96 विरुद्ध श्री एन. आर. पटेल, सहायक यंत्री प्रकरण में निर्णय दिनांक 22-1-2001 द्वारा श्री एन. आर. पटेल को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने संबंधी आरोप प्रमाणित मानते हुए धारा-13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं रुपये 10,000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया है, इस प्रकार श्री पटेल का शासकीय सेवा में बना रहना अशोभनीय बना देता है, तथा यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के अंतर्गत कदाचरण की परिधि में आता है.

4. अत: राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-10 (9) के अंतर्गत श्री एन. आर. पटेल, सहायक यंत्री के विरुद्ध सेवा से पदच्युत किये जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधानिक निर्णय लिया गया.

5. चूंकि श्री पटेल राजपत्रित वर्ग-2 के अधिकारी हैं, अत: राज्य शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर राज्य लोक सेवा आयोग, रायपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. राज्य लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक छलोसेआ/2001/23, दिनांक 30-10-2001 से राज्य शासन द्वारा लिये गये प्रावधानिक निर्णय पर सहमति व्यक्त की गई है.

6. अत: राज्य शासन द्वारा अंतिम निर्णय लिया गया है कि श्री एन. आर. पटेल, सहायक यंत्री को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-19(1) एवं सहपठित नियम-10 (9) के अंतर्गत शासकीय सेवा से पदच्युत किये जाने के दंड से दंडित किया जाता है, जो कि शासन के अधीन भावी नियोजन के लिए अनर्हता होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2001

क्रमांक 1 अ-82/2000-2001/सा-1 सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	घुठेली	11.25	कार्यपालन यंत्री, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भैंरवा जलाशय के डूब हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुजूर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 31 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) क उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पतरकोनी	2.92	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 32 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	अंजनी	12.45	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 33 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नेवसा	22.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002

क्रमांक 34 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	देवरगांव	12.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	मल्हनिया जलाशय की नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2002

क्रमांक 44 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सेखवा	13.70	अति. अधीक्षण यंत्री, (सं/सं.) संभाग छ. रा. विद्युत मंडल, पेण्ड्रारोड.	220 के.व्ही./132 के.व्ही. 33 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 1621/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	रूहा प.ह.नं. 13	6.89	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर-मोतीनाला व्यपवर्तन (मुख्य नहर एवं रूहा माइनर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 1622/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, या आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	बरहापुर प.ह.नं. 9	2.57	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली जलाशय (मुख्य नहर).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 1623/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	बरहापुर प.ह.नं. 9	77.98	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली जलाशय (डूबान)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 1624/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	पेन्ड्री प.ह.नं. 13	5.59	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर-मोतीनाला व्यपवर्तन (मुख्य नहर एवं पेन्ड्रीमाइनर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 1625/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	खिलोराकला प.ह.नं. 13	6.58	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	आमनेर-मोतीनाला व्यपवर्तन (मुख्य नहर एवं खिलोराकला माइनर).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 1626/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	डंगनिया प.ह.नं. 6	1.14	कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	अकोली जलाशय (त्रिरझापुर-माइनर)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/131.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	दुरपा प.ह.नं. 16	1.523	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	दुरपा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/132.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कुम्हारी पठान प.ह.नं. 31	0.864	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	कुम्हारी पठान नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/133.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	बाराद्वार बस्ती प.ह.नं. 15	2.484	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	बाराद्वार माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/134.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	हनुमंता प.ह.नं. 6	1.097	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	हनुमंता माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/135.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सकरेली प.ह.नं. 14	0.243	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	जेठा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/136.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कड़ारी प.ह.नं. 6	0.581	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	कड़ारी माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/137.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कड़ारी प.ह.नं. 6	0.672	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	कड़ारी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/138.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 16	0.218	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	नवागांव माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/139.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पलाड़ीकला प.ह.नं. 15	0.328	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	पलाड़ी माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/140.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अजन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कचन्दा प.ह.नं. 7	0.765	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	कचन्दा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/141.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	मौहाडीह प.ह.नं. 7	1.320	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	कचन्दा सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/142.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	जैजेपुर प.ह.नं. 23	1.162	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	(सक्ती शाखा नहर के अंतर्गत) स्ट्रक्चर एवं निरीक्षण भवन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/143.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	ठठारी प.ह.नं. 17	5.637	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	सोनसरी माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/144.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	ठठारी प.ह.नं. 17	0.234	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/145.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	कोटेतरा प.ह.नं. 6	0.069	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 3 सक्ती.	सक्ती शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/146.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	परसापाली प.ह.नं. 14	0.632	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	परसापाली माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/147.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प.ह.नं. 13	1.188	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	चोरिया माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/148.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	कनस्दा प.ह.नं. 22	0.902	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	कनस्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/149.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	मुड़पार प.ह.नं. 22	2.177	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग जांजगीर.	कनस्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/150.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	खैरा प.ह.नं. 3	2.139	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	खैरा माइनर-घौघरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/151.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सोंठी प.ह.नं. 7	5.390	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5 खरसिया.	सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/152.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	परसदा कला प.ह.नं. 11	1.268	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	परसदा कला माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/153.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	लवसरा प.ह.नं. 11	0.128	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	परसदा माइनर निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/154.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	भागोडीह प.ह.नं. 16	1.182	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/155.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	दुरपा प.ह.नं. 16	0.202	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/156.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सरहर प.ह.नं. 16	0.686	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	भागोडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/157.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	परसापाली प.ह.नं. 14	0.218	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	फरसवानी उप शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 5 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/158.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	परसापाली प.ह.नं. 14	1.727	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	परसापाली माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/159.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	परसापाली प.ह.नं. 14	2.280	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	परसापाली माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/160.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	कोसमंदा प.ह.नं. 4	0.380	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2 चाम्पा.	कोसमंदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/161.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत:भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	डेरागढ़ प.ह.नं. 11	3.599	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6 सक्ती.	भक्तूडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3606/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	सहसपुर प.ह.नं. 5	77.52	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	पुरैना जलाशय के बांधपार एवं डुबान क्षेत्र के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3607/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	विचारपुर प.ह.नं. 58/11	17.54	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	सम्हरा जलाशय के उलट नाली एवं नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3608/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मरकामटोला प.ह.नं. 12	16.64	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	तीन पुलिया जला. के डूबान क्षेत्र में प्रभवित.

भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3609/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	टेकापार प.ह.नं. 5	6.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	टेकापार जलाशय के अन्तर्गत बांध पार डुबान क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3610/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	कुम्ही	3.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपलाकछार जलाशय के अन्तर्गत मुख्य एवं लघु नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3611/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	पिपलाकछार	5.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	पिपलाकछार जलाशय के अन्तर्गत मुख्य एवं लघु नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3612/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	मुड़पार प.ह.नं. 6	12.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	टेकापार जलाशय के अन्तर्गत बांध पारड्वान क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3613/भू-अर्जन-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	गर्रापार प.ह.नं. 14	4.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	गर्रापार व्यपवर्तन के अन्तर्गत बांध पारडुबान क्षेत्र एवं नहर कार्य हेतु.

भूमि के नक्शा तथा खसरा का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2002

क्रमांक 81/वा-1/अविअ/भू-अर्जन/01/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	गरियाबंद	1.950	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग क्र. 3 रायपुर.	100 बिस्तर अस्पताल निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	चण्डी प.ह.नं. 29	0.469	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायपुर.	करही जलाशय के दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/2/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	करही प.ह.नं. 29	1.064	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायपुर.	करही जलाशय के दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल 2002

क्रमांक क/भू-अर्जन/3/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	करही प.ह.नं. 29	1.801	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग रायपुर.	करही जलाशय के स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 260/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	रामानुजगंज	0.61	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) अंबिकापुर.	रामानुजगंज-वाड्रफनगर मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-बंजारी, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.549 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.057
47, 48/1, 49	0.170
100	0.036
103/1	0.020
101/1	0.040
102/1, 103/3, 104/1, 105/2, 172/2	0.389
172/1	0.150
90/1	0.113
89/1	0.239
81/1, 82/2, 89/3	0.190
72, 73/3	0.073
101/2, 105/1	0.032
11	0.040
योग 13	1.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बंजारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता.

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-नवलपुर, प.ह.नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.720 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
21/3	0.134
50	0.045
49/1	0.028
46 47 48/1	0.198
43/1	0.028
41/1	0.045
33/1 33/4 33/5	0.040
105	0.049
107	0.028
109/2	0.028
109/1 110/1	0.134
111/2	0.182
126/1	0.016
125/1	0.032
123	0.012
120	0.008
124/1	0.012
119	0.134
134/1	0.069
135/1	0.081
136/1	0.182
139 140	0.020
152/3	0.069
143/1	0.146
योग 24	1.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बंजारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता.

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-चिचोली, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1402	0.024
1401/1	0.202
1401/2	0.129
1375	0.040
1382/1	0.113
1381	0.020
1380	0.032
1365	0.045
1377	0.121
1342	0.081
1376	0.105
1364	0.061
1373	0.004
1370	0.138
1369	0.214
1499	0.049
1435	0.049
1441	0.077

(1)	(2)
1444	0.105
1445/1	0.105
1445/2	0.073
1505	0.028
1506	0.089
1502	0.085
1495	0.077
1498	0.040
1149/1	0.032
1382/2	0.121
योग 28	2.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कचोरा माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता.

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-कोरबा

(ग) नगर/ग्राम-कचोरा, प.ह.नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.433 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
482/1	0.482
481/1 ख, 481/2 ख	0.065
481/2 क	0.093
484/1	0.243
485, 487/3	0.089
481/1 क	0.077
471, 478/2, 489, 490, 492	0.384
योग 7	1.433

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कचोरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता.

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पचपेड़ी, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.555 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
468	0.057
491/1	0.235
499/1 क	0.077
499/2	0.081
500	0.105
502	0.020
योग 5	0.555

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोथारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता.

कोरबा, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-कोथारी, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.809 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
206/1	0.024
206/2	0.024
200	0.065
153	0.049
197/3	0.093
198	
197/1	0.081
181/2	0.040
180/1	0.129
182	0.218
187/2	0.105
186/2	0.049
582/2	0.049
543	0.032
699/1	0.089
699/2	0.024
646/1	
586/2	0.089

(1)	(2)	(1)	(2)
613/5, 613/6, 613/7, 613/8	0.028	199	0.020
		181/3	0.040
		542/1	0.061
		584/4	0.113
		586/3	0.057
614	0.028	617/1	0.061
579	0.113	616/1	0.020
612/1	0.008	617/3	0.016
699/3	0.012	588	0.121
589	0.065	545/1	0.008
590	0.057	691/1	0.012
596/2	0.061	629/1, 629/2	0.028
594/2	0.069	627/1, 625	0.129
1127, 1128/1	0.109	187/3	0.004
1128/2	0.045	योग 47	2.809
1129/1	0.032		
1129/4	0.089		
1129/5	0.040		
1130/3	0.045		
1122/2	0.069		
1123	0.089		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोथारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 22 अप्रैल 2002

क्रमांक 3614/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बफरा, प.ह.नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
197/1	1.45
195	0.04
158/1	0.32
160	0.47
162/1	0.08
161/1	0.10
161/2	0.27
165/3	0.04
137/1	0.56
136/2	0.35
136/1	0.18
111/1	0.30
107/1	0.14
107/2	0.14
106/1	0.36
106/3	0.09
106/2	0.09
91/1	0.20
91/2	0.20
88/1	0.16
88/3	0.16
88/2	0.16
योग 22	5.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—आमनेर-मोती नाला डायवर्सन नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. **श्रीवास्तव**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक क/ख. लि./2002.—सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत चूना पत्थर खनिज के लिए सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने से 30 (तीस) दिन के पश्चात् आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगा. आवेदन, पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षेत्र के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग से कराया जाकर विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

स. क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	प. ह. नं. (3)	तहसील (4)	खसरा नंबर (5)	रकबा (6)	अन्य विवरण (7)
1.	मूरा	32	तिल्दा	662/5 टु., 662/6 टुकड़ा	1.14 एकड़ निजी भूमि	श्री थानसिंह चन्द्राकर को दिनांक 19-6-95 से 20-6-2005 तक की अवधि के लिए स्वीकृत थी, लीज निरस्त होने से.
2.	मूरा	32	तिल्दा	603, 604/2 टुकड़ा	0.708 हेक्टर निजी भूमि	श्री मो. परवेज के नाम पर दिनांक 24-12-96 से 23-12-2001 तक की अवधि के लिए स्वीकृत थी, लीज अवधि समाप्ति होने से.
3.	तर्रा	82	रायपुर	955 टुकड़ा	2.50 एकड़ शासकीय भूमि	जय सतनाम सहकारी समिति के नाम पर दिनांक 28-2-98 से 27-2-2001 तक की अवधि के लिए स्वीकृत थी, लीज निरस्त होने से.

हस्ता/
(जे. मिन्ज)
अपर कलेक्टर,
रायपुर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 29 दिसम्बर 2001

क्रमांक 514/स्टेनो/2001.—पुलिस अधीक्षक, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.) से यह प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है कि जिला जांजगीर-चांपा के मुख्य नगर चांपा एवं जांजगीर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-200 गुजरने से, भारी वाहनों का आवागमन होने से, आये दिन गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है. जससे कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है. दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नगर के कुछ मार्ग में भारी वाहनों के प्रवेश से रोक लगाई जाना निहायत आवश्यक बताते हुए उनके द्वारा निम्नानुसार प्रतिवेदित किया गया है :—

(1) नगर चांपा में कोरबा चौक से गेमन पुल तिराहा तक का मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है. इस मार्ग में रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड स्थित हैं. इसी मार्ग से स्कूली बच्चों, दुपहिया वाहनों, जीप कार एवं लोगों का आवागमन होता है साथ ही इसी मार्ग पर त्रिमूर्ति टॉकीज स्थित है. अत: कोरबा चौक से गेमन पुल तिराहा तक का मार्ग भारी वाहनों के प्रवेश से एवं परिवहन से प्रात: 8.00 बजे से सायं 21.00 बजे तक वर्जित करते हुए उक्त मार्ग का परिवर्तित मार्ग कोरबा चौक से घठौली चौक, प्रकाश आयरन इण्डस्ट्रीज होते हुए गेमन पुल तिराहा किया जावे. चाम्पा होकर परिवहन करने वाले भारी वाहनों हेतु प्रतिबंधित अवधि में निम्न मार्ग ही उपलब्ध होंगे :—

1. कोरबा चौक से कोरबा की ओर का मार्ग.

2. कोरबा चौक से रेल्वे क्रासिंग होते हुए घठौली चौक और आगे का मार्ग.

3. कोरबा चौक से रेल्वे क्रासिंग, घठौली चौक से प्रकाश आयरन होते हुए गेमन पुल व यहां से जांजगीर की ओर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200.

(2) नगर जांजगीर में बी. टी. आई. तिराहा से कचहरी चौक तक का मार्ग शासकीय कार्यालय, जिसमें जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, न्यायालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, बैंक, शासकीय आवासीय कॉलोनी, स्कूलें एवं बी. टी. आई. संस्था आदि स्थित होने के कारण काफी व्यस्त रहता है. इस मार्ग से भारी वाहनों के प्रवेश से प्रदूषण फैलने एवं दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. अत: उक्त मार्ग का परिवर्तित मार्ग बी. टी. आई. तिराहा से हसदेव क्लब होते हुए रिंग रोड नेताजी चौक किया जावे. उक्त मार्गों को प्रात: 8.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जावे. प्रतिबंधित समयावधि में निम्न मार्ग भारी वाहनों के परिवहन हेतु उपलब्ध रखे जा सकते हैं :—

1. बी. टी. आई. तिराहा से चाम्पा की ओर का राष्ट्रीय राजमार्ग.

2. बी. टी. आई. तिराहा, हसेदव क्लब से नेताजी चौक होते हुए अकलतरा की ओर का राष्ट्रीय राजमार्ग.

3. नेताजी चौक से कचहरी चौक होते हुए नया बस स्टैण्ड व आगे केरा की ओर का मार्ग.

4. नेताजी चौक, नैला, रेल्वे स्टेशन से बलौदा की ओर का मार्ग.

पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मैं संतुष्ट हूं कि जिला जांजगीर-चांपा के मुख्य नगर जांजगीर एवं चांपा से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-200 गुजरने से भारी वाहनों का आवागमन होने से गंभीर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, फलस्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की प्रबल संभावना रहती है. जिला जांजगीर-चांपा गठन के उपरांत जांजगीर एवं चांपा शहर में भारी वाहनों के आवागमन में भी अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई हुई है, अत: कानून व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा के उक्त प्रतिवेदन पर तत्काल कार्यवाही किया जाना अपरिहार्य हो गया है. अत: संबंधितों को व्यक्तिश: सूचना देकर सुनवाई किया जाना संभव नहीं है. अतएव मैं, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, जांजगीर-चांपा लोक सुरक्षा की दृष्टि से मोटरयान अधिनियम, 1988

की धारा 115 के नियम 215 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं :—

नगर चांपा में कोरबा चौक से गेमन पुल तिराहा तक का मार्ग एवं जांजगीर में बी. टी. आई. तिराहा से कचहरी चौक तक का मार्ग प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 21.00 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश एवं परिवहन के लिए वर्जित रहेगा. इस अवधि में नगर चांपा में भारी वाहन कोरबा चौक से घठौली चौक, प्रकाश आयरन इण्डस्ट्रीज होते हुए गेमन पुल तिराहा, चांपा में निकलेंगे इसी तरह नगर जांजगीर में बी. टी. आई. तिराहा से हसदेव क्लब होते हुए नेताजी चौक में निकलेंगे. प्रतिबंधित अवधि में चाम्पा होकर परिवहन करने वाले भारी वाहनों को निम्न मार्ग ही उपलब्ध होंगे :—

1. कोरबा चौक से कोरबा की ओर का मार्ग.

2. कोरबा चौक से रेल्वे क्रासिंग होते हुए घठौली चौक और आगे का मार्ग.

3. कोरबा चौक से रेल्वे क्रासिंग, घठौली चौक से प्रकाश आयरन होते हुए गेमन पुल व यहां से जांजगीर की ओर का राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-200.

इसी तरह जांजगीर होकर परिवहन करने वाले भारी वाहनों को प्रतिबंधित अवधि में निम्न मार्ग ही उपलब्ध रहेंगे :—

1. बी. टी. आई. तिराहे से चांपा की ओर का राष्ट्रीय राजमार्ग.

2. बी. टी. आई. तिराहा, हसदेव क्लब से नेताजी सुभाष चौक होते हुए अकलतरा की ओर का राष्ट्रीय राजमार्ग.

3. नेताजी चौक से कचहरी चौक होते हुए नया बस स्टैण्ड व आगे केरा की ओर का मार्ग.

4. नेताजी चौक, नैला, रेल्वे स्टेशन से बलौदा की ओर का मार्ग.

शासकीय वाहनों एवं फायर ब्रिगेड के वाहनों के लिये ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. दैनिक उपभोग की वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन जो शहर में पहुंचते हैं, दोपहर 13.00 बजे से शाम 16.00 बजे तक उपरोक्त प्रतिबंध/निर्बन्धन से मुक्त रहेंगे. अति आवश्यक परिवहन की आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरी/पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा की अनुमति से उपरोक्त आदेश शिथिल किया जा सकेगा.

पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी को मैं अधिकृत करता हूं कि इस आदेश का उल्लंघन होने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही कर सकेंगे.

ये आदेश स्थानीय दैनिक अखबारों में सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जावे, जिसकी प्रतियां अभिलेख में संलग्न कर रखी जावे साथ ही लाऊडस्पीकर द्वारा सभी थाना क्षेत्रों में पढ़कर सुनाया जावे तथा मुनादी की जावे. आदेश की प्रतियां सार्वजनिक स्थानों में लोगों एवं ट्रांसपोर्टरों की जानकारी हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत चस्पा एवं प्रचार-प्रसार करते हुए पालन प्रतिवेदन भेजें, जिसे अभिलेख में सुरक्षित कर रखा जावे.

मूल आदेश अभिलेख के साथ संलग्न कर रखा जावे.

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मेरे न्यायालय की मुहर से आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 को जारी किया गया.

सही/-
(मनोज कुमार पिंगुआ)
कलेक्टर,
जिला जांजगीर-चांपा.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 8 जनवरी 2002

क्रमांक मंडी/2001-2002/2164.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (संशोधित 2000) की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के तहत निम्न कृषि उपज मंडी समिति जिला बिलासपुर के प्रतिनिधित्व हेतु नाम-निर्दिष्ट किए गए हैं. अधिनियम की धारा 11 (5) के अंतर्गत नीचे दर्शित तालिका में नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधियों का नाम अधिसूचित किया जाता है.

स. क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	अधिनियम की धारा (3)	नाम एवं पता (4)	विशिष्टियां (5)
1.	कोटा	11 (1) (ज)	श्री अरूण चौहान, मु. पो. करगीखुर्द व्हाया करगीरोड जिला बिलासपुर (छ.ग.)	जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि.
2.	पेण्ड्रा	11 (1) (ज)	श्रीमती अनुसुईया बाई मरावी, सरपंच, देवरीखुर्द पेण्ड्रा जिला बिलासपुर (छ. ग.).	जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि.
3.	जयरामनगर	11 (1) (ज)	श्री नारायण वर्मा ग्राम टेकर पो. जाली जिला बिलासपुर (छ. ग.).	जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि.
4.	लोरमी	11 (1) (ज)	श्रीमती सरिता टोण्डे, ग्राम छिरहुटी, पो. बैगाकापा जिला बिलासपुर (छ. ग.).	जिला पंचायत बिलासपुर के अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रतिनिधि.

सही/-
(आर. पी. मण्डल)
कलेक्टर,
जिला बिलासपुर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्रमांक 726/तीन-6-1/2001.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री कार्तिक राम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सूरजपुर जो गजम्त्र जिला सरगुजा, स्थान अंबिकापुर में पदस्थापित है को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों के संक्षेपत: विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 जनवरी 2002

क्रमांक 731/तीन-22-2/2001.—उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक सी/1347/तीन-10-42/75 दिनांक 11-3-1997 जहां तक उसका संबंध अपर जिला न्यायाधीश, बैकुंठपुर की श्रृंखला न्यायालय सूरजपुर से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 30th January 2002

No. 731/III-22-2/2001.—The Notification No. C/1347/III-10-42/75, dated 11-3-1997 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur so far as it relates holding Link Court of Additional District Judge, Baikunthpur at Surajpur in hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2002

क्रमांक 771/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) सहपठित धारा 14 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा आदेश देता है कि श्री आर. वी. घोंग, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट रायपुर आगामी आदेश पर्यन्त विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, बिलासपुर के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का भी कार्य करेंगे.

Bilaspur, the 31st January 2002

No. 808/Confdl/2002/II-2-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh after repatriation to his parent department, hereby, transfers, the following member of Higher Judicial Service specified in column No. (2) of the table below from the place shown in column No. (3) to the place shown in the column No. (4) and posts him as Additional District Judge as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his duties, viz :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following member of Higher Judicial Service as Additional Sessions Judge in the Sessions Division specified against his name in column No. (5) of the tabel below, viz.

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Remarks (6)
1.	Shri Tapan Kumar Chakravarti (on repatriation from the post of Registrar, State Administrative Tribunal, Raipur).	Raipur	Raipur	Raipur	As Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 31st January 2002

No. 810/Confdl/2002/II-2-1/2001 (Pt. I).—In exercise of the powers conferred by Article 229 & 235 of the Constitution of India, Han'ble the Acting Chief Justice has been pleased to modify the Order No. 478/II-2-1/2002 (Pt. I) dated 18-1-2002 as so far as it relates to the appointment of Shri Rangnath Chandrakar, Special Judge, Ambikapur as District Judge (Vigilance), Raipur and has been pleased to order that Shri Rangnath Chandrakar be posted as Registrar, State Administrative Tribunal, Raipur.

Bilaspur, the 6th February 2002

No. 949/II-1-1/2002.—It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13030/3/2001-US. II, dated 31-1-2002 of Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Justice), New Delhi, the Hon'ble Shri Justice Koratagere Hanumanthaiah Narasimha Kuranga, Judge of the Karnataka High Court has assumed charge of office of the Chief Justice of High Court of Chhattisgarh in the forenoon of 6th February, 2002.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. के. श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार जनरल.

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च, 2002

क्रमांक 1544/तीन-22-5/2000.—उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा पारित अधिसूचना क्रमांक 506/तीन-22-5/2000, दिनांक 26-1-2001 जहां तक उसका संबंध चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की श्रृंखला न्यायालय बेमेतरा से है को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

Bilaspur, the 5th March 2002

No.1544/III-22-5/2000.—The Notification No. 506/III-22-5/2000, dated 26-1-2001 issued by the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur so far as it relates holding Link Court of Fourth Additional District and Sessions Judge, Durg at Bemetara is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च, 2002

क्रमांक 1586/तीन-6-7/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 4080/तीन-6-7-2000, दिनांक 20-9-2001 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री आर. के. अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ.ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक 49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के जांच एवं विचारण हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

Bilaspur, the 6th March 2002

No.1586/III-6-7/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. 4080/III-6-7/2000, dated 20-9-2001 the High Court of Chhattisgarh, appoints Shri R. K. Agrawal, Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate, First Class (Specially for C.B.I cases) established by the Government of Chhattisgarh *vide* Law and Legislative Affairs Department Notification No.D/2262/21-B/Ch., dated 19th September, 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Preventation of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 6 मार्च, 2002

क्रमांक 1589/तीन-10-11/2000 (सरगुजा-रामानुजगंज).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा स्थान अंबिकापुर अपने घोषित कार्यस्थल सरगुजा स्थान अंबिकापुर के अतिरिक्त रामानुजगंज में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा स्थान अंबिकापुर द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कार्य करेंगे.

Bilaspur, the 6th March 2002

No.1589/III-10-11/2000 (Surguja-Ramanujganj).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the court of Second Additional District and Sessions Judge, Surguja at Ambikapur in addition to his place of sitting declared at Surguja at Ambikapur shall also sit at Ramanujganj on such dates as may be approved by the District and Sessions Judge, Surguja at Ambikapur from time to time.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. के. पंडा, एडिशनल रजिस्ट्रार.

Bilaspur, the 6th March 2002

No.1593/II-3-1/2002(Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby transfers the following Civil Judges, Class-I and Judicial Magistrates First Class as specified in column No. 2 from the place shown in Column No. 3 in the same capacity and posts them at the place and post mentioned against their respective names in column No. 4 and 6 respectively from the date they assume charge of their Office, viz :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District H. Qrs. (5)	Remarks (6)
1.	Shri Umashankar Mishra.	Sukma	Ambikapur	Surguja	As Additional Judge to the Court of Civil Judge, Class-I.
2.	Shri Ashok Kumar Sahu.	Raipur	Sukma	Bastar	As Civil Judge, Class-I vice Shri U. S. Mishra.

By order of the High Court,
T. K. JHA, Registrar (Vigilance).

Bilaspur, the 14th March 2002

No.1764/II-2-1/2002 (Part I).—The High Court of Chhattisgarh, hereby, posts Shri Girish Chandra Bajpai, Sessions Judge, Surguja (Ambikapur) also as Presiding Officer of the Special Court at Ambikapur established by the State Government of Madhya Pradesh *vide* its Notification No. F-1-2-90/XXI-B/1 dated 19-2-97 under Section 14 of the Schedule Castes & the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. He, besides, doing his own work as Sessions Judge, shall also work as the Presiding Officer of the said Special Court until further orders.

Bilaspur, the 18th March 2002

No.1887/C.J.I/7.—In the matter of Department Enquiry against Shri Ram Rai Bharadwaj, the then Civil Judge, Class-I & J.M.F.C., Goharganj, presently under suspension with Headquarter at Bilaspur, the High Court of Chhattisgarh, after considering the enquiry report and reply of Shri R. R. Bharadwaj holds him guilty of the charges which have been found proved against him by the Enquiry Officer and imposes on him punishment of with holding of two grade annual increments without cumulative effect under Rule 10 (iv) of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1966.

The High Court of Chhattisgarh is further pleased to revoke the suspension order No. B /7113/C.J.-II/486, dated 28-7-1998 passed against Shri Ram Rai Bharadwaj, the then Civil Judge Class-I Goharganj, (M. P.) presently under suspension with Headquarter at Bilaspur. His posting order is being issued separately.

The High Court is also pleased to direct that on reinstatement in service Shri R. R. Bharadwaj will not be paid more than what he was paid by way of subsistence allowance for the period of his suspension. However, the period of suspension shall be treated as period on duty for the purposes of pension only.

Bilaspur, the 18th March 2002

No. 1889/II-3-1/2002 (Pt. II).—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, posts Shir Ram Rai Bharadwaj, the then Civil Judge, Class-I & J.M.F.C., Goharganj (presently under suspension with Headquarter at Bilaspur), as Civil Judge, Class-I & Judicial Magistrate First Class, Balod District Durg on his reinstatement in service from the date he assumes charge of his office.

By order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.